उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
संख्या-48/2016/1500/92-2-16-88जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 26 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

केरल राज्य में मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पेरिपल्ली, कोल्लम के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग,(सी0वी0सी0) की जॉच आख्या में अन्य अधिकारियो के साथ श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता (वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0) को धनराशि रू0 16,47,52,780.00 की क्षति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-35/2016/07 मु0स0/92-2-2016-88(जांच)/2016, दिनांक 26-07-2016 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0 आर0) के नियम-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र सं0-2241/ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/2016-17 दिनांक 03-08-2016 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के स्थान पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या(02 प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-48 /2016/1500/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जॉच अधिकारी@निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,उ0प्र0,लखनऊ को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-35/2016/07मु0स0/92-2-16-88(जांच)/16, दि0 26.07.16 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि श्री पी0आर0 राय, तत्का0 मुख्य अभियंता (वर्तमान में से0नि0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0) के विरूद्ध आरोप पत्र के आलेख्य की 03 प्रतियां शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, परि0-लखनऊ को उनके पत्र दि0 03-08-2016 के क्रम में।
3- श्री पी0आर0राय, तत्का0 मुख्य अभियंता (वर्तमान में से0नि0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in